न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा, जिला– रायगढ़ (छ0ग0)

:: आदेश ::

क्रमांक/1052/आर–2/वृक्ष कटाई/2025 घरघोड़ा दिनांक 01 मई 2025

आवेदक प्रकाश पटेल पिता पदमनसिंह पटेल जाति अघरिया निवासी रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम छिन्दभौना तहसील तमनार स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 18/1 एवं 43/1 रकबा कमशः 4.662 एवं 2.920 एवं अन्य 06 खसरा नंबरों की भूमि पर रोपित 20,000 सागौन पौधों को में खसरा नंबर 18/1 पर स्थित 11600 रोपित पौधों से 3000 एवं खसरा नंबर 43/1 पर रोहित 7300 पौधों में से 2000 कुल 5000 पौधों को थिनिंग करने (काटे जाने) की अनुज्ञा दिये जाने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 18.03.2025 एवं वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा आवेदित भूमि पर स्थित 5000 पौधों को कटाई किये जाने की अनुशंसा की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34/सात–1/2021 दिनांक 11.02.2022 की कण्डिका–08 में रोपित वृक्षों की कटाई के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप भूमिस्वामी द्वारा रोपित वृक्षों की कटाई के संबंध में राजस्व अभिलेखों में पंजीयन कराया जा चुका है एवं वनपाल एवं हल्का पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है।

अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी अधिूसचना दिनांक 11.02.2022 के नियम 08 में दिये गये निर्देशानुसार तथा वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ तथा वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खसरा क्रमांकें पर स्थित वृक्षों के विदोहन की अनुमति दी जाती हैः–

ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल	विदोहन योग्य वृक्षों का क्रमांक एवं नाम	कैफियत
छिन्दभौना	प्रकाश पटेल पिता पदमनसिंह पटेल निवासी रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ (छ0ग0)	ख0नं0 18/1 रकबा 4.662	3000 तीन हजार पौधे	थिनिंग
		ख0नं0 43/1 रकबा 2.920	2000 दो हजार पौधे	थिनिंग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)